न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

8/3

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
26/2022	07/02/2022	04/11/2025

1. चन्दा देवी पत्नि सीताराम
2. रमेश पुत्र सीताराम
3. सुरेश पुत्र सीताराम
4. सन्तोष देवी पत्नि हनुमान
5. दीपचन्द पुत्र हनुमान
6. अंजली पुत्री हनुमान

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम नांगल तुलसीदार, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1 गोरधन पुत्र राधेश्याम
2 मुकेश पुत्र रामचन्द्र
3 राकेश पुत्र रामचन्द्र (मृतक दौरोन वाद)
3/1. सीमा पत्नि राकेश
3/2. देव पुत्र राकेश नाबालिक जरिये संरक्षिका माता सीमा देवी
3/3. चेल्सी पुत्री राकेश नाबालिक जरिये संरक्षिका माता सीमा देवी
4 कोयली देवी पत्नि रामचन्द्र
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम नांगल तुलसीदास तहसील जमवारमगढ जिला जयपुर राजस्थान।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री राजेश कुमार पारिक :– वकील वादीगण।
श्री सत्यपाल गुर्जर :– वकील प्रतिवादीगण।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णयः–

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारिक ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 77 रकबा 11.5600है0, खसरा नम्बर 270 रकबा 1.1100है0, खसरा नम्बर 272 रकबा 1.0900है0 ग्राम नांगल तुलसीदार, पटवार हल्का बासना तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित है जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण तथा अन्य सहखातेदार खातेदार है। उक्त भूमि में हिस्सा 1/3 वादीगण के दादा राधेश्याम दत्तक पुत्र घासी के नाम हिस्सा 1/3 दर्ज है और वादीगण की दादी रामेश्वरी के नाम हिस्सा 1/15 दर्ज है। जिसका फौती नामान्तकरण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम अभी तक नामा0 स्वीकृत नही हुआ है। उक्त भूमियों मे हिस्सा 1/3 के सहखातेदार राधेश्याम दत्तक पुत्र घीस्या है जो फौत हो चुके है जिनके वारीस उनकी पत्नि रामेश्वरी पुत्र सीताराम, गोरधन, रामचन्द्र, हनुमान हुये जिनमें पत्नि रामेश्वरी देवी का देहान्त हो चुका है तथा पुत्र सीताराम, रामचन्द्र, हनुमान का देहान्त हो चुका है। रामेश्वरी के वारिस वादीगण एवं प्रतिवादीगण है सीताराम के वारिस वादी सं0 1 ता 3 है हनुमान के वारिस वादी सं0 4 ता 6 है और रामचन्द्र के वारीस प्रतिवादी सं0 2 ता 4 है। गोरधन स्वयं प्रतिवादी

सं0 1 है। प्रतिवादीगण राधेश्याम दत्तक पुत्र घीस्या हिस्सा 1/3 एवं रामेश्वरी पत्नि राधेश्याम हि0 1/15 का नामा0 अपने ही नाम स्वीकृत करवाने पर आमादा है जबकि रामेश्वरी व राधेश्याम के वारिस वादीगण तथा प्रतिवादीगण है और राधेश्याम हि0 1/3 तथा रामेश्वरी हि0 1/15 कुल हिस्सा 6/15 में वादी सं0 1 ता 3 का हिस्सा 1/10, वादी सं0 4 ता 6 हिस्सा 1/10 के खातेदार है, अर्थात रामेश्वरी व राधेश्याम के कुल हिस्सा 6/15 में वादी सं0 1 ता 3, वादी सं0 4 ता 6, प्रतिवादी सं0 1 प्रतिवादी सं0 2 ता 4 प्रत्येक का हिस्सा 1/10–1/10 निहित है जिस अनुसार नामा0 स्वीकृत होना चाहिये प्रतिवादीगण की नियत मे बदनियती आने से यह राजस्व कर्मचारियों से मिलकर रामेश्वरी और राधेश्याम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम लगाने पर आमादा है और राजस्व [illegible] में इस बाबत प्रतिवादीगण द्वारा प्रयास किया गया जिसकी जानकारी वादीगण को हुई तब वादीगण ने दिनांक 10.12.2021 को प्रतिवादीगण से बातचीत की और सहमति से उक्त मृतक राधेश्याम और रामेश्वरी का फोती नामा0 सभी के बराबर वारीसो को खोलवाने का आग्रह किया परन्तु प्रतिवादीगण ने एलानिया धमकी देकर कहा कि हम अकेले ही फोती नामा0 खुलवायेगे इस हेतु तहसीलदार जी को वादीगण द्वारा आवेदन किया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसलिये अपने अधिकारो की घोषणा के लिये यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा 1/3 के खातेदार राधेश्याम दत्तक पुत्र घीस्या एवं रामेश्वरी पत्नि राधेश्याम का हिस्सा 1/15 वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त वर्णित प्रकार से खातेदार काश्तकार है और सभी के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासत का नामा0 स्वीकृत होना आवश्यक है और अपने निहित खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये वाद पेश करना आवश्यक है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा डिक्री किया जाकर वादांकित भूमि खसरा नम्बर 77, 270, 272 स्थित ग्राम नांगल तुलसीदास पटवार हल्का बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में मृतक राधेश्याम दत्तक पुत्र घीस्या हिस्सा 1/3 एवं मृतका रामेश्वरी पत्नि राधेश्याम हि0 1/15 के वारीस वादीगण एवं प्रतिवादीगण को उनके स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त राधेश्याम एवं रामेश्वरी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से का वादी सं0 1 ता 3 को हिस्सा 1/4, वादी सं0 4 ता 6 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 1 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को हिस्सा 1/4 (अर्थात कुल भूमि में से **वादी सं0 1 ता 3 को** हिस्सा 1/10, चसजर यं0 4 ता 6 को हिस्सा 1/10 व प्रतिवादी सं0 1 को हिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को हिस्सा 1/10) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में मृतक राधेश्याम दत्तक पुत्र घीस्या एवं रामेश्वरी पत्नि राधेश्याम के स्थान पर उक्त घोषित हिस्से बहैसियत खातेदार काश्तकार इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के हिस्से में बाधा नहीं पहुंचाये एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की ओर से एड0 श्री सत्यपाल गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली है तथा दिनांक 28.10.2025 को वादी एवं प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता संयुक्त रूप से राजीनामा पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। राजीनामें में पक्षकारान ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 77, 270, 272 ग्राम नांगल तुलसीदास पटवार हल्का बासना, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण तथा अन्य सहखातेदार खातेदार है। उक्त भूमि में हिस्सा 1/3 वादीगण के दादा राधेश्याम दत्तक पुत्र घासी के नाम हिस्सा 1/3 दर्ज है और जिसका फौती नामा0 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। उक्त भूमियों में हिस्सा 1/3 के सहखातेदार राधेश्याम दत्तक पुत्र घीस्या है जो फौत हो चुके है जिनके वारीस उनकी पत्नि रामेश्वरी, पुत्र सीताराम, गोरधन, रामचन्द, हनुमान हुये जिनमें पत्नि रामेश्वरी देवी का देहान्त हो चुका है तथा पुत्र सीताराम, रामचन्द्र, हनुमान का देहान्त हो चुका है। रामेश्वरी के वारीस वादीगण एवं प्रतिवादीगण है, सीताराम के वारिस वादी सं0 1 ता 3 है हनुमान के वारीस वादी सं0 4 ता 6 है और रामचन्द के वारिस प्रतिवादी सं0 2 ता 4 है। गोरधन स्वयं प्रतिवादी सं0 1 है। राधेश्याम दत्तक पुत्र घीस्या हि0 1/3 एवं रामेश्वरी पत्नि राधेश्याम हि0 1/15 के वारिस हम वादीगण तथा प्रतिवादीगण है और राधेश्याम हि0 1/3 तथा रामेश्वरी हिस्सा 1/15 कुल हिस्सा 6/15 में वादी सं0 1 ता 3 का हिस्सा 1/10, वादी सं0 4 ता 6 हिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 1 हिस्सा 1/10 एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 हि0 1/10 के खातेदार है। अर्थात रामेश्वरी व राधेश्याम के कुल हि0 6/15 में वादी सं0 1 ता 3, वादी सं0 4 ता 6, प्रतिवादी सं0 1, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 प्रत्येक का हिस्सा 1/10–1/10 निहित है जिस अनुसार नामान्तकरण स्वीकृत होने में प्रतिवादीगण को आपत्ति नहीं है। वादीगण का वादी स्वीकार किया जाकर मद सं0 1 में वर्णित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 77, 270, 272 स्थित ग्राम नांगल तुलसीदास पटवार हल्का बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में मृतक राधेश्याम दत्तक पुत्र घीस्या हि0 1/3 एवं मृतका रामेश्वरी पत्नि राधेश्याम हि0 1/15 के वारीस वादीगण एवं प्रतिवादीगण को उनके स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त राधेश्याम एवं रामेश्वरी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से का वादी सं0 1 ता 3 को हिस्सा 1/4, वादी सं0 4 ता 6 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 1 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को हिस्सा 1/4 (अर्थात कुल भूमि मे से वादी सं0 1 ता 3 को हिस्सा 1/10, वादी सं0 4 ता 6 को हिस्सा 1/10 व प्रतिवादी सं0 1 को हिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को हिस्सा 1/10) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे मृतक राधेश्याम दत्तक पुत्र घीस्सा किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे मृतक राधेश्याम दत्तक पुत्र घीस्या एवं

Scanned with OKEN Scanner

3/3

रामेश्वरी पत्नि राधेश्याम के स्थान पर उक्त अनुसार इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तो मिन प्रतिवादीगण को एतराज नही है। यह कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा हो गया है और वादीगण का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 77, 270, 272 स्थित ग्राम नांगल तुलसीदास में मृतक राधेश्याम दत्तक पुत्र हिस्सा 1/3 एवं मृतका रामेश्वरी पत्नि राधेश्याम हि0 1/15 के वारिस वादीगण एवं प्रतिवादीगण को उनके स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त राधेश्याम एवं रामेश्वरी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से वादी सं0 1 ता 3 को हिस्सा 1/4, वादी सं0 4 ता 6 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 1 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को हिस्सा 1/4 (अर्थात कुल भूमि में से वादी सं0 1 ता 3 को हिस्सा 1/10, वादी सं0 4 ता 6 को हिस्सा 1/10 व प्रतिवादी सं0 1 को हिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को हिस्सा 1/10) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में मृतक राधेश्याम दत्तक पुत्र घीस्या एवं रामेश्वरी पत्नि राधेश्याम के स्थान पर उक्तानुसार इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली में वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनने व अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली में पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा के अनुसार राधेश्याम एवं रामेश्वरी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से वादी सं0 1 ता 3 को हिस्सा 1/4, वादी सं0 4 ता 6 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 1 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को हिस्सा 1/4 (अर्थात कुल भूमि में से वादी सं0 1 ता 3 को हिस्सा 1/10, वादी सं0 4 ता 6 को हिस्सा 1/10 व प्रतिवादी सं0 1 को हिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को हिस्सा 1/10) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में मृतक राधेश्याम दत्तक पुत्र घीस्या एवं रामेश्वरी पत्नि राधेश्याम के स्थान पर उक्तानुसार इन्द्राज चाहा गया है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर वादांकित भूमि खसरा नम्बर 77 रकबा 11.5600है0, खसरा नम्बर 270 रकबा 1.1100है0, खसरा नम्बर 272 रकबा 1.0900है0 ग्राम नांगल तुलसीदास, पटवार हल्का बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर मे मुताबिक राजीनामा के अनुसार मृतक खातेदार राधेश्याम एवं रामेश्वरी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से का वादी सं0 1 ता 3 को हिस्सा 1/4, वादी सं0 4 ता 6 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 1 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को हिस्सा 1/4 (अर्थात कुल भूमि में से वादी सं0 1 ता 3 को हिस्सा 1/10, वादी सं0 4 ता 6 को हिस्सा 1/10 व प्रतिवादी सं0 1 को हिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को हिस्सा 1/10) का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण को राजीनामानुसार खातेदार काश्तकार अंकित किया जावें। तद्नुसार डिकी जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 04.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर

वन्दा वगै0 बनाम गोरधन वगै0

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट

मु0 नं0 :- 22/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री राजेश कुमार पारीक एडवोकेट वादीगण एवं श्री सत्यपाल गुर्जर एडवोकेट प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर वादांकित भूमि खसरा नम्बर 77 रकबा 11. 5600है0, खसरा नम्बर 270 रकबा 1.1100है0, खसरा नम्बर 272 रकबा 1.0900है0 ग्राम नांगल तुलसीदास, पटवार हल्का बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर मे मुताबिक राजीनामा के अनुसार मृतक खातेदार राधेश्याम एवं रामेश्वरी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से का वादी सं0 1 ता 3 को हिस्सा 1/4, वादी सं0 4 ता 6 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 1 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को हिस्सा 1/4 (अर्थात कुल भूमि में से वादी सं0 1 ता 3 को हिस्सा 1/10, वादी सं0 4 ता 6 को हिस्सा 1/10 व प्रतिवादी सं0 1 को हिस्सा 1/10, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को हिस्सा 1/10) का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण को राजीनामानुसार खातेदार काश्तकार अंकित किया जावें।

डिक्री दिनांक 04.11.2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner